09-08-2022

राज्यसभा में पारिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में, राज्यसभा द्वारा 'परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक' 2022 (Family Courts (Amendment) Bill 2022) को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

त्वरित मुद्दा?

- इस विधेयक में, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में स्थापित 'पारिवार न्यायालयों' को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022 (Family Courts (Amendment) Bill 2022) द्वारा 'परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984' में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम, राज्यों द्वारा परिवार और विवाह से संबंधित विवादों से निपटने के लिए 'फैमिली कोर्ट' की स्थापना का प्रावधान करता है।
- **संशोधन की आवश्यकता:** परिवार न्यायालय अधिनियम को लागू करने के लिए, केंद्र सरकार को इसे विभिन्न राज्यों के लिए अधिसूचित करना होता है। हालांकि, सरकार ने हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए पहले ऐसा नहीं किया था।

अन्य प्रमुख तथ्य?

समाज कल्याण एजेंसियों का संघ

- राज्य सरकार निम्नलिखित संस्थाओं या व्यक्तियों को 'परिवार न्यायालय' में शामिल कर सकती है:~
  - समाज कल्याण में लगे संस्थान या संगठन।
  - परिवार के कल्याण को बढ़ावा देने में पेशेवर रूप से संलग्न व्यक्ति।
  - समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति।

- **क़ानून की धारा 1 की उप-धारा 3:** इस विधेयक में क़ानून की धारा 1 की उप-धारा 3 में हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में में 'पारिवार न्यायालयों' की स्थापना के लिए एक प्रावधान शामिल किया गया है। ये प्रावधान, हिमाचल प्रदेश के लिए 15 फरवरी, 2019 से और नागालैंड के लिए 12 सितंबर, 2008 से प्रभावी होगा।
- **धारा 3A:** यह विधेयक, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की सरकारों और इन राज्यों की पारिवारिक अदालतों द्वारा किए गए अधिनियम के तहत सभी कार्यों को 'पूर्वव्यापी रूप' (Retrospectively) से मान्य करने के लिए एक नई 'धारा 3A' (Section 3A) को सम्मिलित करने का भी प्रयास करता है।
- **पूर्वव्यापी प्रभाव:** दोनों राज्यों में पारिवार न्यायालयों की स्थापना इन तिथियों से पूर्वव्यापी रूप से मान्य होगी।
- **परिवार न्यायालयों की स्थापना:** पारिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 को पारिवारिक न्यायालयों (फैमिली कोर्ट) की स्थापना के लिये अधिनियमित किया गया था, ताकि सुलह को बढ़ावा दिया जा सके और विवाह तथा पारिवारिक मामलों एवं संबंधित विवादों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।
- **न्यायाधीशों की नियुक्ति:** इन न्यायालयों में, न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से की जाती है। राज्य सरकार, सामाजिक कल्याण एजेंसियों या सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को मध्यस्थता और सुलह में मदद के लिए 'फैमिली कोर्ट' से जोड़ने का प्रावधान कर सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाला संभावित प्रश्न

प्रश्न. पारिवारिक न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वे शादी और अन्य पारिवारिक मुद्दों से संबंधित विवादों से निपटते हैं।
2. राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की सहमति से, एक या अधिक व्यक्तियों को परिवार न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) दोनों 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर:(c) दोनों 1 और 2

KAUTILYA ACADEMY INDORE

'बढ़े चलो' (Badhe Chalo) अभियान

समाचार पत्रों में क्यों?

संस्कृति मंत्रालय ने भारत के युवाओं से जुड़ने और उनमें देशभक्ति की गहरी भावना जगाने के उद्देश्य से 'बढ़े चलो अभियान' की शुरुआत की है।

त्वरित मुद्दा?

- भारत के युवाओं को भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करके, इस अभियान को भारत के युवाओं को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- केंद्र सरकार ने प्रगतिशील भारत के 75 वर्षों के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, उपलब्धियों और उसके लोगों के गौरवशाली इतिहास को मनाने और मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव पहल शुरू की थी।

अन्य प्रमुख तथ्य?

संबंधित तथ्य

- 12 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 'आजादी का अमृत महोत्सव' (India@75) के पूर्वावलोकन कार्यकलापों का उद्घाटन किया।
- इसके साथ ही उन्होंने साबरमती आश्रम से 'पदयात्रा' (फ्रीडम मार्च) को झंडी दिखाई।
- इस अवसर पर उन्होंने (India@75) समारोहों के लिए अन्य विभिन्न सांस्कृतिक और डिजिटल पहलों को भी लांच किया।
- उल्लेखनीय है कि 'आजादी का अमृत महोत्सव' भारत की स्वाधीनता की 75 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक शृंखला है।
- यह महोत्सव जनभागीदारी की भावना में एक जन-उत्सव के रूप में मनाया जाएगा।

- संस्कृति मंत्रालय भारत में कला और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दे रहा है। इसने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में कई पहल शुरू की हैं।
- 'जन भागीदारी' पहल के माध्यम से, मंत्रालय का लक्ष्य 'हर घर तिरंगा' आंदोलन का समर्थन करना भी है, ताकि लोगों को 13 से 15 अगस्त, 2022 के दौरान अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- इस अभियान का उद्देश्य भारत के सभी हिस्सों के युवाओं और लोगों को एक मंच पर लाना और जोड़ना है। 'बढ़े चलो' अभियान में फ्लैश डांस की सुविधा होगी, जहां नर्तक "युवा गान" पर प्रदर्शन करेंगे। इस एंथम को 'बढ़े चलो' की थीम पर लिखा और कंपोज किया गया है।
- यह गाना लोगों को आगे आने और अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- मंत्रालय का उद्देश्य इन फ्लैश डांसेज के माध्यम से अमृत महोत्सव के संदेश और भावना का प्रसार करना है।
- 'बढ़े चलो' अभियान 5 अगस्त से 10 अगस्त 2022 तक 10 शहरों में प्रतिदिन चलाया जा रहा है। इस अभियान का ग्रैंड फिनाले 12 अगस्त 2022 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा।

प्रारंभिक परीक्षा मे पूछे जाने वाला संभावित प्रश्न

प्रश्न- 12 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से 'आजादी का अमृत महोत्सव' (India @ 75) के पूर्वावलोक कार्यकलापों का उद्घाटन किया?

(a) चंपारण
(b) साबरमती
(c) बेलगांव
(d) नागपुर

उत्तर—(b) साबरमती

प्रश्न- आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 'बढ़े चलो' अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है?

(a) संस्कृति मंत्रालय
(b) विदेश मंत्रालय
(c) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
(d) गृह मंत्रालय

उत्तर—(a) संस्कृति मंत्रालय

KAUTILYA ACADEMY INDORE